छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

खंड न्यायपीठ

कोरम: माननीय श्री टी.पी. शर्मा एवं

माननीय श्री आर.एल. झंवर, न्यायाधीशगण

प्रथम अपील (वैवाहिक) क्रमांक- 04/2007

आवेदक/अपीलार्थी मोहनलाल सोनकर

बनाम

अनावेदक/प्रत्यर्थी श्रीमती रेखा सोनकर

विचारार्थ निर्णय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

टी.पी. शर्मा

न्यायाधीश

माननीय श्री आर.एल. झंवार, न्यायाधीश मैं सहमत हूँ।

सही/-

आर.एल. झंवार

न्यायाधीश

निर्णय हेतु सूचीबद्ध तिथि: 4/12/2009

सही/-

न्यायाधीश

04/12/2009

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

खंड न्यायपीठ

कोरम: माननीय श्री टी.पी. शर्मा एवं

माननीय श्री आर.एल. झंवर, न्यायाधीशगण

प्रथम अपील (वैवाहिक) क्रमांक- 04/2007

आवेदक/अपीलार्थी मोहनलाल सोनकर, उम्र लगभग 33 वर्ष, पिता श्री बाबूलाल सोनकर, निवासी लोहार चौक, पुरानी बस्ती, रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

बनाम

अनावेदक/प्रत्यर्थी श्रीमती रेखा सोनकर, उम्र लगभग 34 वर्ष, पति मोहनलाल सोनकर निवासी सोनकर पारा, पुरानी बस्ती, रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम की धारा 19(1) के अंतर्गत अपील

उपस्थिति:— अपीलार्थी हेतु श्री जी.डी. वासवानी, अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी हेतु श्री अनिल सिंह राजपूत, अधिवक्ता।

निर्णय

(दिनांक 04/12/2009 को पारित)

निम्नलिखित न्यायालय का निर्णय **माननीय न्यायाधीश टी. पी. शर्मा** द्वारा पारित किया गया

1. कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम की धारा 19(1) के अंतर्गत इस अपील द्वारा अपीलार्थी ने द्वितीय अपर मुख्य न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, रायपुर द्वारा व्यवहार वाद संख्या 149ए/2005 में दिनांक 10.11.06 को पारित निर्णय एवं डिक्री को चुनौती दी है, जिसमें विवाह विच्छेद हेतु तलाक की डिक्री की याचिका को खारिज किया गया था।
2. डिक्री इस आधार पर आक्षेपित है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने क्रूरता के सिद्ध मामले पर विचार नहीं किया और एक अवैधता कारित की है।
3. पक्षकारों के अभिवचन के अनुसार, पक्षकार हिन्दू विधिवत् विवाहित दम्पति हैं, जिनका विवाह दिनांक 27.04.99 को सम्पन्न हुआ था। वे कुछ समय तक एक साथ रहे फिर प्रत्यर्थी अपने मायके चली गई। पक्षकारों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ विशेष रूप से प्रत्यर्थी की नौकरी और अपीलार्थी की सहमति/अनुमति के

बिना प्रत्यर्थी के मायके की बारम्बार यात्रा को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। बैठक बुलाई गई और विवाद सुलझाया गया परन्तु प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी के साथ रहने से इंकार कर दिया तब अंततः अपीलार्थी की ओर से तलाक की डिक्री द्वारा विवाह विच्छेद की याचिका दायर की गई।

4. प्रत्यर्थी ने आरोप से इनकार किया था और विशेष रूप से यह अभिवचन किया था कि उसने अपने वैवाहिक दायित्व का निर्वहन किया है, वह अपीलार्थी की अनुमति के बाद ही अपने मायके गई है, उसने अपीलार्थी को परित्यक्त नहीं किया है, अपीलार्थी और उसके रिश्तेदारों ने उस पर गर्भावस्था के दौरान भी क्रूरता की है। पक्षकारों के प्रक्कथनों के आधार पर, अधीनस्थ न्यायालय ने विवाद्यक विस्थित किए। सुनवाई का अवसर देने के बाद अधीनस्थ न्यायालय ने तलाक की डिक्री द्वारा विवाह के विघटन की याचिका को खारिज कर दिया।

5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।

6. आक्षेपित निर्णय और डिक्री तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का परिशीलन किया गया।

7. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रबल रूप से तर्क दिया कि प्रत्यर्थी अपीलार्थी के साथ रहने के लिए तैयार और इच्छुक नहीं है, उसने अपीलार्थी को परित्यक्त कर दिया है और सुलह की कोई संभावना नहीं है, अपीलार्थी ने समस्या के समाधान के लिए अपनी पूरी कोशिश की है लेकिन प्रत्यर्थी अपीलार्थी के साथ रहने के लिए तैयार के लिए तैयार नहीं है । कई पंचायतें बुलाई गई हैं लेकिन प्रत्यर्थी अपीलार्थी के साथ रहने के लिए तैयार नहीं है।

8. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने **श्रीमती भावना अडवानी, अपीलार्थी बनाम मनोहर अडवानी, प्रत्यर्थी, ए. आई. आर. 1992 एम. पी. 105 में प्रकाशित** मामले का अवलंब लिया है, जिसमें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने यह माना था कि पत्नी द्वारा पति की जानबूझकर उपेक्षा परित्याग गठित करने के लिए पर्याप्त है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने याचिका का प्रबल विरोध किया और निवेदन किया कि प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी को अपने विवाह से पहले जानबूझकर नहीं छोड़ा था। वह जनशताब्दी प्रेस में काम कर रही थी, विवाह के बाद अपीलार्थी ने उसे नौकरी छोड़ने की सलाह दी तब उसने अपने पति से कहा कि पहले अपीलार्थी को खुद को स्थापित करना चाहिए और फिर वह नौकरी छोड़ देगी परन्तु आज तक अपीलार्थी ने खुद को स्थापित नहीं किया है और इसलिए उसने केवल अपने परिवार को बचाने के दृष्टिकोण से नौकरी नहीं छोड़ी है।

10. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि उसने अपीलार्थी की जानबूझकर उपेक्षा नहीं की है और वह अभी भी अपीलार्थी के साथ रहने के लिए तैयार है।

11. पक्षकारों के तर्कों की सराहना करने के लिए हमने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का परीक्षण किया है। पक्षकार हिन्दू विधिवत् विवाहित पति-पत्नी हैं, जिनका विवाह दिनांक 27/4/99 को सम्पन्न हुआ था। वर्तमान में दोनों अलग-अलग रह रहे हैं यह अविवादित है। पंचायत की बैठक बुलाई गई थी यह भी अविवादित है। अ.सा.-1 मोहन लाल ने अपने साक्ष्य में कहा है कि विवाह के बाद प्रत्यर्थी अपने मायके गई और दिनांक 14/10/99 से, वह उसके घर वापस नहीं आई। वर्तमान में अपीलार्थी प्रत्यर्थी के घर कई बार गया परन्तु वह उसके साथ आने से मना कर देती थी। दिनांक 30/6/99 को प्रत्यर्थी के भाई ने उसे अपीलार्थी के घर भेजा

तब प्रत्यर्थी जो शिक्षिका है ने अपनी नौकरी जारी रखी और उसने नौकरी नहीं छोड़ी। अ.सा.-1 मोहन लाल ने आगे कहा है कि प्रत्यर्थी अपीलार्थी की सहमति या अनुमति के बिना बार-बार अपने पिता के घर जाती थी। उसने यह भी गवाही दी कि उसने प्रत्यर्थी को अपने घर वापस बुलाने के लिए अपना सर्वोत्तम प्रयास किया है, उसने बैठक बुलाई है, उसने परिवार सुलह केंद्र से निवेदन किया है परन्तु प्रत्यर्थी अपीलार्थी के साथ रहने के लिए तैयार नहीं है। अ.सा.-2 कैलाश सोनकर समुदाय के सदस्य ने अपीलार्थी के साक्ष्य का समर्थन किया है।

12. प्रत्यर्थी ने आरोप से इंकार किया है और विशेष रूप से कहा है कि वह अपने विवाह से पहले नौकरी में थी। उसने अपीलार्थी से कभी नहीं कहा था कि वह विवाह के बाद नौकरी छोड़ देगी, वह परिवार सुलह केंद्र और सामुदायिक बैठक में गई और विशेष रूप से सूचित किया कि वह अपीलार्थी के साथ रहने के लिए तैयार है। बेटी भी उसके साथ रह रही है। अपीलार्थी कभी उसे लेने नहीं आया, उसने आगे कहा कि अपीलार्थी उससे झगड़ता था और उसे नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर करता था। उसने अपीलार्थी से कहा था कि पहले वह खुद को स्थापित करे फिर वह नौकरी से इस्तीफा दे देगी, उसने यह भी कहा कि केवल अपने परिवार को बचाने के दृष्टिकोण से उसने नौकरी से इस्तीफा नहीं दिया है। उसके बयान की पुष्टि अ.सा.-2 श्याम लाल और अ.सा.-3 बाबूलाल सोनकर के बयान से होती है। अपीलार्थी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के कण्डिका 6 में स्वीकार किया है कि कभी-कभी वह अपने भाई की पान की दुकान पर बैठता था। उसने इंकार किया है कि वह फेरीवाला है और पैसा वसूलता था परन्तु उसने अपना काम अखबार वितरक का दिखाया है। कण्डिका-7 में, उसने स्वीकार किया है कि जब प्रत्यर्थी अपने मायके गई थी उस समय प्रत्यर्थी की मां अस्पताल में भर्ती थी और 30 जून को प्रत्यर्थी अपनी मामी के साथ अपने घर आई थी। कण्डिका-8 में उसने यह भी स्वीकार किया है कि स्कूल 1 जुलाई को खुलता है इसलिए प्रत्यर्थी 1 जुलाई को स्कूल गई और भादो महीने में बेटियां/विवाहित महिलाएं अपने मायके जाती हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के साक्ष्य की बारीकी से जांच करने पर यह पता चलता है कि प्रत्यर्थी की नौकरी को लेकर एकमात्र विवाद है। वर्तमान में प्रत्यर्थी नियमित नौकरी में है परन्तु अपीलार्थी अखबार वितरित करता था मतलब अपीलार्थी फेरीवाला है, उसका काम निश्चित नहीं है, प्रत्यर्थी के साक्ष्य से पता चलता है कि प्रत्यर्थी अपने पति यानी अपीलार्थी की स्थापना के बाद नौकरी छोड़ देगी परन्तु अपीलार्थी प्रत्यर्थी की नौकरी जारी रखने के लिए तैयार नहीं है, यह स्थापित पति का मामला नहीं है जहां पत्नी की नौकरी अतिरिक्त आय के लिए हो सकती है या परिवार के लिए आवश्यकता नहीं होगी। अपीलार्थी का काम अनिश्चित है, दोनों एक ही वार्ड में रह रहे हैं और वे पति और पत्नी के रूप में एक ही छत के नीचे रह सकते हैं परन्तु केवल इस आधार पर कि प्रत्यर्थी नौकरी में है वे एक-दूसरे के साथ नहीं रह रहे हैं। वर्तमान मामले में अपीलार्थी ने हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 9 के अंतर्गत दाम्पत्य अधिकार की पुनर्स्थापना के लिए कोई वाद दायर नहीं किया है। अपीलार्थी के बयान से पता चलता है कि पहली बार प्रत्यर्थी अपने माता-पिता के घर गई जब मां अस्पताल में भर्ती थी फिर वह 30 जून को वापस आई, वह स्कूल गई क्योंकि वही आवश्यक था, ये सभी

साक्ष्य बताते हैं कि प्रत्यर्थी ने जानबूझकर अपीलार्थी को नहीं छोड़ा है। श्रीमती भावना अडवानी (उपरोक्त) का के प्रकरण का तथ्य एवं आधार अलग है ।

14. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य की विवेचन करने के बाद और प्रत्यर्थी की ओर से किसी भी जानबूझकर परित्याग की अनुपस्थिति में विद्वान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, रायपुर ने तलाक की डिक्री द्वारा विवाह के विघटन की याचिका को खारिज कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय का निष्कर्ष कानूनी साक्ष्य पर आधारित है।

15. बारीकी से जांच के बाद, हमें आक्षेपित निर्णय और डिक्री में कोई अवैधता या त्रुटि नहीं दिखती। परिणामस्वरूप, अपील खारिज की जाने योग्य है और इसे खारिज किया जाता है।

16. व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

17. डिक्री तदनुसार तैयार की जाए।

सही/-

टी.पी. शर्मा

न्यायाधीश

04/12/2009

सही/-

आर.एल. झंवर

न्यायाधीश

04/12/2009

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By **Shaantam Patil**